राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 00274/2024

चमन प्रकाश गुप्ता

–अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक करौली।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 19.02.2024
आदेश की दिनांक : 20.02.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–तृतीय के पद पर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय करौली में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, खिरदपुर, सपोटरा में कार्यरत था वहां पर अपीलार्थी को शिवचरण मीणा पीईईओ के द्वारा अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा था तथा अपीलार्थी को वेतन आदि का भुगतान नहीं किया गया तथा अपीलार्थी के विरूद्ध मनगढ़ंत आरोप लगाये गये इसके बाद निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 ने अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान पर आदेश दिनांक 19.05.2020 के द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, खिरदपुर सपोटरा से किया गया था। अपीलार्थी ने दिनांक 02.06.2020 को वर्तमान पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण किया परंतु निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 ने आलौच्य आदेश दिनांक 12.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी को कार्य व्यवस्था में मानते हुए अपीलार्थी का जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थापन को निरस्त करते हुए वापिस अपीलार्थी को मूल पदस्थापित स्थान राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, खिरदुर, सपोटरा के लिए कार्यमुक्त करने के आदेश जारी किये जबकि अपीलार्थी कार्यव्यवस्था में पदस्थापित नहीं था।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि आदेश दिनांक 12.02.2024 को निरस्त किया जावे तथा अपीलार्थी को यथावत विधि अनुभाग में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय करौली में पदस्थापित रखा जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य